न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 33 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

भंवरलाल पुत्र चतुर्भुज माली निवासी पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां (अप्रार्थी)

<u>रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री जितेश शर्मा, अभिभाषक (अप्रार्थी)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

आदेश दिनांक– 16.06.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 2097 / 1088 रकबा 0.48 है. किस्म बंजड़ वाके ग्राम पलायथा तहसील–अन्ता राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2010–2029 में खसरा नम्बर 792 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा किस्म नाला रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2044–63 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नंबर 1088 रकबा 1.24 हैं कायम किये जाकर उक्त भूमि नाला की किस्म सिवायचक दर्ज कर दी। जिसमें से 0.48 है. भूमि दिनांक 19.09.1998 को अप्रार्थी को आवंटित हुई। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन / नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों / नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन / नियमन [illegible] काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। आवंटन / नियमन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। अप्रार्थी के अभिभाषक को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी बन्द किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी अनुपस्थित रहे इस पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार की सुनकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चिय किया।

4— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम पलायथा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 792 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा किस्म नाला को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य नवीन खसरा नंबर 1088 रकबा 1.24 है. कायम कर उक्त आराजी की किस्म सिवायचक दर्ज कर दी। जिसमें से दिनांक 19.09.1998 को 0.48 है. भूमि अप्रार्थी को आवंटित होकर अप्रार्थी के खाते दर्ज हुई। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म नाला थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 2097/1088 रकबा 0.48 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म बंजड़ दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै. मु.नाला दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

5— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपात अवलोकन किया। इससे गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2010—29 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 792 रकबा 7 बीघा 18 [illegible] खाता सरकार दर्ज है, जिसका अप्रार्थी को आवंटन/नियमन किया गया है। मत[illegible] क्षेत्रफल उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2044—63 नये ख[illegible] किस्म सिवायचक बने है, जिसमें से 0.48 है. भूमि अप्रार्थी क[illegible] मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2067—70 अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वर्तम[illegible] में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म नाला खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

6— माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, अन्ता का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके ग्राम पलायथा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 2097/1088 रकबा 0.48 है0 किस्म बंजड़, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 792 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा किस्म नाला से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार अन्ता को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, अन्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित/नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 16.06.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.28 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested